भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1650
05 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण सुविधा की कमी के कारण खराब होते खाद्य पदार्थ

1650. श्री अरुण गोविल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण सुविधा की कमी के कारण देश में उत्पादित खाद्यान्न, फल और सब्जियों की खराब हो जाने वाली औसत मात्रा संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के कृषि विश्वविद्यालयों विशेषकर सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में खाद्य प्रसंस्करण को एक विषय के रूप में पढ़ाने की सुविधा है; और

(ग) यदि नहीं, तो फलों, सब्जियों और खाद्यान्नों को खराब होने से बचाने हेतु प्रसंस्कृत करने के लिए उक्त विषय की पढ़ाई कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एनएबीसीओएनएस) के माध्यम से वर्ष 2020-22 के संदर्भ में वर्ष 2022 में " भारत में कृषि उपज के फसलोत्तर नुकसान का निर्धारण करने के लिए अध्ययन" नामक एक अध्ययन शुरू किया था। अध्ययन के अनुसार खाद्यान्न, फलों और सब्जियों के औसत उत्पादन और नुकसान की मात्रा का विवरण इस प्रकार है:

श्रेणी	**औसत उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में)**	**अनुमानित मात्रा का नुकसान (मिलियन मीट्रिक टन में)**
अनाज	281.28	12.49
दाल	21.55	1.37
तिलहन	37.27	2.11
फल	90.82	7.36
सब्ज़ियाँ	164.74	11.97

(ख) और (ग): जी हां, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ सहित देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में खाद्य प्रसंस्करण को विषय के रूप में पढ़ाने की सुविधा है।

****